"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2011—पौष 21, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक फा. 233/86/21-ब/छ. ग./2011.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा-5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न 16 (सोलह) सिविल जिलों में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का न्यायालय दिनांक 17-01-2011 से स्थापित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	3	5	8
2.	बिलासपुर	9	8	16
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1	3	5
4.	धमतरी	1	3	3
5.	दुर्ग	8	7	19
6.	जांजगीर-चांपा	2	4	8
7.	जशपुर	1	3	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	–	3	2
9.	कोरबा	1	3	4
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	2	4	3
11.	महासमुंद	2	4	3
12.	रायगढ़	2	4	6
13.	रायपुर	12	10	24
14.	राजनांदगांव	3	5	6
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	3	5	9
16.	उत्तर बस्तर कांकेर	1	3	2

Raipur, the 11th Janury 2011

NOTIFICATION

No. F. 233/86/21-B/11.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications, the State Government hereby establises, with effect from the 17th January, 2011 Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II in the following 16 (Sixteen) Civil Districts of the State as specified against each Civil District in the table below :—

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts		
		Additional District Judges	Civil Judges Class-I	Civil Judges Class-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bastar (Jagdalpur)	3	5	8
2.	Bilaspur	9	8	16
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1	3	5
4.	Dhamtari	1	3	3
5.	Durg	8	7	19
6.	Janjgir-Champa	2	4	8
7.	Jashpur	1	3	3
8.	Kabeer Dham (Kawardha)	-	3	2
9.	Korba	1	3	4
10.	Koria (Baikunthpur)	2	4	3
11.	Mahasamund	2	4	3
12.	Raigarh	2	4	6
13.	Raipur	12	10	24
14.	Rajnandgaon	3	5	6
15.	Sarguja (Ambikapur)	3	5	9
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1	3	2

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.